Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

➢ सितम्बर तक की ए.सी.बी. रिपोर्ट

जयपुर, *04 अक्टूबर, मंगलवार।* **माह सितम्बर 2022 तक** भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान द्वारा अपने ही पिछले वर्ष के रिकार्ड को तोड़कर **392 प्रकरण पी0सी0 एक्ट** के तहत पंजीबद्ध किये गये हैं, जिनमें **360 ट्रेप, 17 आय से अधिक संपत्ति के व 15 पद के दुरूपयोग के प्रकरण** सम्मिलित हैं। वर्ष 2020 में इसी अवधि में 221 प्रकरण व वर्ष 2021 में 375 प्रकरण दर्ज किये गये थे, जिनमें 333 ट्रेप के प्रकरण सम्मिलित थे। (संलग्न तालिका)

इस वर्ष में ए0सी0बी0 मुख्यालय द्वारा **508 प्रकरणों में अब तक निस्तारण आदेश** पारित किये गये जबकि 2021 में इसी अवधि में 548 प्रकरणों में तथा 2020 में 179 प्रकरणों में निस्तारण आदेश जारी किये गये थे।

न्यायालय में ए0सी0बी0 द्वारा प्रस्तुत की गयी निस्तारण रिपोर्ट में भी इस वर्ष अब तक की अवधि में रिकार्ड स्थापित किया गया है। इस वर्ष **अब तक 450 प्रकरणों** में ए0सी0बी0 के विशिष्ठ न्यायालयों में नतीजा पेश किया गया है, जिनमें 360 चालान व 90 एफ0आर0 सम्मिलित है। वर्ष 2020 में 177 प्रकरणों में तथा 2021 में 351 प्रकरणों में इसी अवधि में अंतिम नतीजा पेश गया था।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।

COMPERATIVE REGISTRATION & DISPOSAL UP TO SEP. 30- 2022

YEAR	REGISTRATION				HQ. DISPOSAL ORDERS				DISPOSAL(SUBMIT IN COURT)		
	TRAP	D.A.	M.O.	TOTAL	TRAP	D.A.	M.O.	TOTAL	FR	CHALLAN	TOTAL
2020	194	5	22	221	150	2	27	179	29	148	177
2021	333	17	25	375	477	16	55	548	51	300	351
2022	360	17	15	392	349	33	126	508	90	360	450

माह सितम्बर 2022 के महत्वपूर्ण प्रकरण

क. सं.	प्रकरण संख्या	विवरण
1.	388 / 2022	प्रकरण में दिनांक 27.09.2022 को मुख्य अभियंता–शहरी, (एनआरडब्ल्यू) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जयपुर राज0 एवं अन्य के द्वारा आपसी मिलीभगत कर फर्म मैसर्स आरएएससी इन्फ्राटेक डवलपर्स अजमेर से पम्प हाउस एवं पाईप लाईन के कार्यों के 32 करोड रूपये के टेण्डरों को सबलेट करने की एवज में कमीशन राशि 10,40,000रूपये प्राप्त करते हुये गिरफ्तार किया गया।
2.	384 / 2022	प्रकरण में दिनांक 24.09.2022 को ब्लॉक विकास अधिकारी, राजगढ, द्वारा परिवादी जिसके द्वारा पंचायत समिति राजगढ परिक्षेत्र में हेडपम्प / ट्यूबवैल निर्माण कार्यों के बिलों का भुगतान ब्लॉक विकास अधिकारी से पास करवाने की एवज में दलालों द्वारा 5,00,000रू कि रिश्वत लेते हुये गिरफ्तार किया गया।
3.	378 / 2022	प्रकरण में दिनांक 22.09.2022 को उप निरीक्षक, थानाधिकारी, पुलिस थाना मण्डार, जिला सिरोही एवं के द्वारा परिवादी से उसके विरूद्ध दर्ज प्रकरण में बेवजह परेशान नहीं करने की एवज में 4,00,000रू रिश्वती राशि वकील व दलाल के मार्फत रिश्वत लेते हुय गिरफ्तार किया गया।
4.	379 / 2022	प्रकरण में दिनांक 22.09.2022 को कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक (वेलफेयर इन्सपेक्टर) कार्यालय मण्डल रेल प्रबन्धक जोधपुर को परिवादी से उसकी मेडीकल बोर्ड की अनुशंषा पर कार्य परिवर्तन कराने की पत्रावली आगे बढाने व कार्य कराने की एवज में दलाल के मार्फत 3,35,000 रू की रिशवत लेते गिरफ्तार किया गया।
5.	383 / 2022	प्रकरण में दिनांक 24.09.2022 को सरपंच ग्राम पंचायत जैतूसर पंचायत समिति खण्डेला जिला सीकर को परिवादी व उसके पिता द्वारा पंचायत समिति जैतूसर में करवाये गये कार्य के बदले जमा अमानत राशि लौटाने की एवज में 2,10,000रू कि रिश्वत लेते हुये गिरफ्तार किया गया।
6.	355 / 2022	प्रकरण में दिनांक 10.09.2022 को जिला परिषद सदस्य, वार्ड नं0 16 बीकानेर को परिवादी के खिलाफ पुलिस थाना कोलायत में मुकदना नं0 167 / 2022 दर्ज करवाया व इसी प्रकरण के संबंध में स्वयं अपने परिचित श्री कोजूराम से उच्च अधिकारियों को परिवाद पेश कर भूमि आवंटन निरस्त करवाने हेतु परिवादी पक्ष पर दबाव बनाया एवं दबाव बनाकर व आगे पुलिस थाना व कोर्ट में कार्यवाही नहीं करने के बदलें में मांग सत्यापन के समय 50,000 / –रू प्राप्त कर लिये व दौराने ट्रेप कार्यवाही 1,00,000 / – भारतीय मुद्रा व 9,00,000 / –रू चिल्ड्रन बैंक के नोट कुल 10,00000 / –रू प्राप्त करने पर गिरफ्तार किया।

7.	352 / 2022	प्रकरण में दिनांक 08.09.2022 को अधिशाषी अधिकारी, कार्यालय नगर पालिका थानागाजी जिला अलवर एवं अन्य के द्वारा निर्माण कार्यों के बिलों का भुगतान करने की एवज में कमीशन राशि परिवादी श्री डालचन्द सैनी से 2,00,000रू रिश्वत लेते हुये गिरफ्तार किया गया।
8.	354 / 2022	प्रकरण में दिनांक 09.09.2022 को चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पीलीबंगा जिला हनुमानगढ द्वारा परिवादी से चोट प्रतिवेदन गम्भीर प्रकति का बनाने की एवज में 1,25,000 रू प्राप्त किये गये थे, एसीबी में शिकायत होने के उपरान्त फोनपे के द्वारा 80,000रू वापस परिवादी को लोटाये जाने पर गिरफ्तार किया गया।
9.	361 / 2022	प्रकरण में दिनांक 13.09.2022 को वनपाल, वनखण्ड रेंज मण्डोर जिला जोधपुर को परिवादी से खरीदशुदा प्लॉट पर जायज निर्माण कार्य करवाने की एवज में व वन विभाग की अनुमति के नाम पर दलाल के मार्फत 50,000 रू लेने व एसीबी की भनक लगने पर वनपाल मौके से फरार हो गया एवं दलाल को गिरफ्तार किया गया।
10.	357 / 2022	प्रकरण में दिनांक 11.09.2022 को सहायक उप निरीक्षक पुलिस एवं अन्य पुलिस थाना आसपुर जिला डूंगरपुर द्वारा परिवादी से उसके विरूद्व दर्ज प्रकरण में मदद करने की एवज में 50,000 रू रिश्वत लेते हुये गिरफ्तार किया गया।